समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE, UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

समाज कल्याण विभाग

विभागीय योजनाओं का उद्देश्य

समाज के सबसे पिछड़े वर्गों यथा – वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवा महिलाएं, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना।।

आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की सुविधा प्रदान कर उनकी शिक्षा में सहायता करना।

विभिन्न संस्थानों का संचालन कर पिछड़े वर्गों को शिक्षा उपलब्ध करवाना एवं रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम, नशामुक्त भारत अभियान आदि का सुदढ़ क्रियान्वयन कर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।

विभागीय संरचना

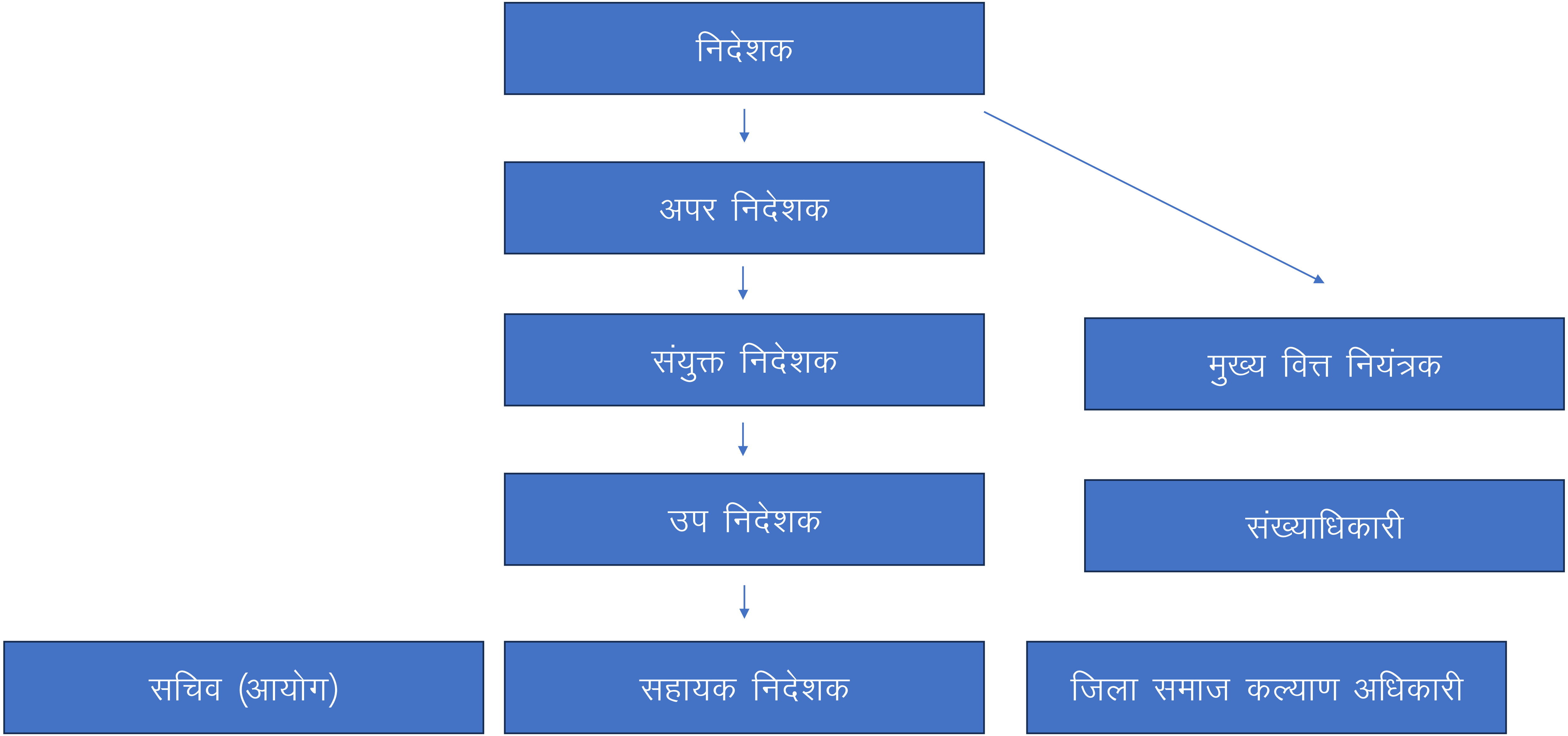
निदेशक
अपर निदेशक
संयुक्त निदेशक
उप निदेशक
सहायक निदेशक
मुख्य वित्त नियंत्रक
संख्याधिकारी
सचिव (आयोग)
जिला समाज कल्याण अधिकारी

जनपद स्तरीय कार्यालय / संस्थाएं

- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय
- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय – 06
- राजकीय औद्योगित संस्थान – 03
- डॉ. अम्बेडकर राजकीय अनुसूचित जाति बालक / बालिका छात्रावास
- आश्रम पद्धति विद्यालय
- दिव्यांग कर्मशाला
- वृद्धाश्रम
- भिक्षुक गृह

- जनपद स्तर पर मौजूद समस्त संस्थाएं संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी की देखरेख में कार्य करती हैं।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पदेन जिला प्रबंधक, बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, जिला जनजाति कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (देहरादून को छोड़कर) का दायित्व भी पृथक से संभाला जाता है।

विभागीय योजनाएं

- वृद्धावस्था पेंशन
- विधवा पेंशन
- दिव्यांग पेंशन
- किसान पेंशन
- तीलू–रौतेली पेंशन
- बौना पेंशन
- दिव्यांग बच्चों को अनुदान

- अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति (1–8)
- अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति (9–10)
- अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति
- दिव्यांग पूर्वदशम छात्रवृत्ति (1–8)
- अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति
- अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति

ईबीसी (Economic Backward Class) दशमोत्तर छात्रवृत्ति

- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना
- अटल आवास योजना
- डॉ. बी आर अम्बेडकर राजकीय बालक / बालिका छात्रावास
- आश्रम पद्धति विद्यालय
- राजकीय औद्योगिक आस्थान (ITI)
- सुगम्य भारत अभियान

- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पुत्री हेतु विवाह हेतु अनुदान
- सामान्य जाति की विधवा महिलाओं की व्यक्तियों की पुत्री हेतु विवाह अनुदान
- दिव्यांग व्यक्ति विवाह पर प्रोत्साहन राशि
- अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
- अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन

अन्य योजनाएं

- विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र
- NAPDDR (National Action Plan on Drug Demand Reduction)
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

पेंशन योजनाएं

- वृद्धावस्था पेंशन
- विधवा पेंशन
- दिव्यांग पेंशन
- किसान पेंशन

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत वृद्धावस्था, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन संचालित है।
- राज्य में पेंशनरों की दो श्रेणिया हैं – एक श्रेणी उन पेंशनरों की है जिनकी पेंशन धनराशि में केंद्रांश एवं राज्यांश सम्मिलित है। इनका आंकलन NSAP पेंशनर के रूप में होता है एवं राज्य की ओर से पूर्ण रूप से आच्छादित पेंशनर Non–NSAP पेंशनर कहलाते हैं।

	NSAP	Non-NSAP
	केंद्र सहायता प्राप्त पेंशनर्स	राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पेंशनर्स
आय सीमा	BPL श्रेणी	जिनकी मासिक आय 4000 से अधिक नहीं है
कुल पेंशन	रु० 1500 प्रति माह	रु० 1500/– प्रति माह
अंश	केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पेंशन में योगदान करते हैं	पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा पोषित
भुगतान	PFMS के माध्यम से।	IFMS के माध्यम से।

पेंशन योजनाएं

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE,
UTTARAKHAND

क्र सं	योजना का नाम	पात्रता			पेंशनर संख्या	
		आय सीमा प्रतिमाह	देय धनराशि प्रतिमाह	अन्य	NSAP	Non-NSAP
1	वृद्धावस्था पेंशन	रु. 4000/ बीपीएल	रु. 1500	60 वर्ष से अधिक आयु	194824	303419
2	विधवा पेंशन	रु. 4000/ बीपीएल	रु. 1500	18 वर्ष से अधिक आयु	28092	175266
3	दिव्यांग पेंशन	रु. 4000/ बीपीएल	रु. 1500	40 %से अधिक दिव्यांगता	2942	82174
4	किसान पेंशन	रु. 4000	रु. 1200	स्वयं की भूमि पर खेती करते हों, 60 वर्ष से अधिक आयु	लागू नहीं	27394
5	परित्यक्ता पेंशन	रु. 4000	रु. 1200	तलाकशुदा/ परित्याग की गई महिलाएं		5932
6	तीलू–रौतेली पेंशन	रु. 4000	रु. 1200	20 से 40 % दिव्यांगता		
7	बौना पेंशन	कोई आय सीमा नहीं	रु. 1200	4 फुट से कम कद		1640
8	0–18 वर्षीय दिव्यांग बच्चों को अनुदान	रु. 4000 (अभिभावक)	रु. 700	40 %से अधिक दिव्यांगता		155 6028

छात्रवृत्ति योजनाएं

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE, UTTARAKHAND

क्र. सं.	योजना का नाम	आय सीमा (अधिकतम प्रतिवर्ष)	फंडिंग पैटर्न
1	अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 1–8)	प्राविधान नहीं	राज्य पोषित
2	अनुसूचित जाति पूर्वदशम (कक्षा 9–10)	2.50 लाख	90:10 (केंद्र पोषित)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्वदषम (कक्षा 3–10)	2.50 लाख	90:10 (केंद्र पोषित)
4	पूर्वदशम दिव्यांग छात्रवृत्ति (कक्षा 1–8)	0.24 लाख	राज्य पोषित
5	अनुसूचित जाति दशमोत्तर	2.50 लाख	60:40 (केंद्र पोषित)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर	2.50 लाख	90:10 (केंद्र पोषित)
7	ईबीसी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	2.50 लाख	90:10 (केंद्र पोषित)

PMAJAY – प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

PMAGY प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

SCA to SCSP

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)

PMAJAY – प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

PMAGY प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

- PMAGY अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चयनित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में अभिसरण के माध्यम से विकास कार्य कराए जाने का प्राविधान।
- प्रत्येक ग्राम के Village Development Plan (VDP) को तैयार किया जाना।
- प्रत्येक ग्राम के Household Survey को ऑनलाईन किया जाना आवश्यक।
- ग्राम में विकास कार्यों की स्थिति के अनुरूप एवं सर्वे के आधार पर अंकन किया जाता है।
- अभिसरण हेतु रु. 20.00 लाख प्रति ग्राम हेतु योजनान्तर्गत प्राविधान।
- विकास कार्यों का अंकन ऑनलाईन किए जाने के पश्चात स्कोर जेनेरेट होता है। 70 फीसदी से अधिक स्कोर एवं ओडीएफ के ग्राम आदर्श घोषित किए जाते हैं।
- वर्तमान तक जनपद नैनीताल के 7 ग्राम आदर्श घोषित किए जा चुके हैं।

PMAJAY – प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)

- अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के लिए नवीन छात्रावास निर्माण अथवा अनुरक्षण की व्यवस्था।
- अर्हता – उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने वाले शिक्षण संस्थान, राज्य सरकार के ऐसे संस्थान जो केंद्र/राज्य द्वारा पोषित हों (fully or partially)।
- छात्रावास की क्षमता अधिकतम 100 छात्रों की हो सकती है। कुछ प्रकरणों में विशेष आवश्यकता के आधार पर यह 250 हो सकती है।
- रु. 3.25 लाख प्रति छात्र धनराशि स्वीकृत किए जाने का प्राविधान।
- छात्रावास संचालन हेतु राज्य सरकार एवं संबंधित संस्थान उत्तरदायी होंगे।
- रु. 5 हजार प्रति छात्र की One Time Grant छात्रावास में फर्नीचर, किचन सामग्री, टीवी, कम्प्यूटर आदि हेतु दिए जाने का प्राविधान।

शैक्षणिक संस्थाएं

- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय – 06
- डॉ. बीआर अम्बेडकर बालक / बालिका छात्रावास
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था – 03 (बागेश्वर, रामनगर, पाईन्स)

अन्य संस्थाएं

- राजकीय दिव्यांग कर्मशाला –03 (टिहरी, पिथौरागढ़, नैनीताल)
- वृद्धाश्रम – 02 (चमोली एवं बागेश्वर)
- दिव्यांग कर्मशाला – 03 (नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़)

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मुफ्त आवासीय विद्यालय।
- स्कूलों की कुल संख्या = 06 कुल छात्र संख्या =133।
- छात्रों को भोजन, वस्त्र, किताबें, स्टेशनरी आदि निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष	पदों की संख्या		क्षमता	पंजीकृत छात्र
		स्वीकृत	कार्यरत		
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अधोईवाला, देहरादून (कक्षा 1—5)	1989	12	10	60	60
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी (कक्षा 1—5)	1989	12	8	60	12
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर	1989	12	11	60	60
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, साईकोट, चमोली (कक्षा 1—8)	1974	18	11	230	46
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बेतालघाट, नैनीताल (कक्षा 6—10)	2006	16	09	150	135
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, , जैंती, अल्मोड़ा	1989	12	05	60	-

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रुद्रपुर के छात्र।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रुद्रपुर का भवन।

राज्य में संचालित अंबेडकर छात्रावासों का विवरण

क्र.सं	छात्रावास का नाम	स्थापना वर्ष	पदों की संख्या		पंजीकृत छात्र
			स्वीकृत	कार्यरत	
1	रा0 अनु0 जाति सैनिक छात्रावास, नैनीताल	1997-98	5	3	24
2	रा0 अनु0 जाति छात्रावास, पाइंस, नैनीताल	1997-98	5	2	42
3	रा0 अनु0 जाति छात्रावास, फालमीसा, अल्मोड़ा	1997-98	5	4	48
4	रा0 अनु0 जाति छात्रावास, लोहाघाट, चंपावत	1997-98	5	3	48
5	रा0 अनु0 जाति बालक छात्रावास, पिथौरागढ़	2003-04	0	0	50
6	रा0 अनु0 जाति बालिक छात्रावास, पिथौरागढ़	2003-04	6	5	48
7	रा0 अनु0 जाति बालक छात्रावास, हरिद्वार	2002-03	4	4	15
8	रा0 अनु0 जाति बालिक छात्रावास, मसूरी,देहरादून	2002-03	0	0	0
9	रा0 अनु0 जाति बालक छात्रावास, देहरादून	1997-98	5	3	96
10	रा0 अनु0 जाति बालक छात्रावास, केमार, टिहरी	1997-98	5	4	3
11	रा0 अनु0 जाति बालक छात्रावास, उत्तरकाशी	1997-98	5	3	48
12	रा0 अनु0 जाति बालिक छात्रावास, उत्तरकाशी	1997-98	5	1	0
13	रा0 अनु0 जाति बालक छात्रावास, पौड़ी	1997-98	5	2	24
14	रा0 अनु0 जाति बालिक छात्रावास, पौड़ी	1997-98	5	1	25
15	रा0 अनु0 जाति बालक छात्रावास, गोपेश्वर, चमोली	1997-98	5	5	48

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI)

- समाज कल्याण विभाग द्वारा 03 आईटीआई संचालित है।
- ITI मालधन (रामनगर) और ITI कमेरी (बागेश्वर) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षित हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा 03 ITI संचालित है।
- आईटीआई पाइंस, नैनीताल आरक्षित श्रेणी के साथ–साथ सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए खुला है।
- इन संस्थानों में इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फिटिंग, कटिंग–टेलरिंग, मोटर मैकेनिक इत्यादि ट्रेडों को पढ़ाया जा रहा है।
- वर्तमान में तीनों संस्थानों में कुल 309 छात्र प्रशिक्षिणरत है, जिनमें कैम्पस के माध्यम से शतप्रतिशत को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

क्र सं	संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कुल भरे हुए पदों की संख्या	कुल छात्र–छात्राओं की संख्या
1	आई0टी0आई0 बागेश्वर	2004	25	16	85
2	आई0टी0आई0 मालधनौड़, रामनगर, नैनीताल	2003	26	08	90
3	आई0टी0आई0 पाईन्स, नैनीताल	1955	33	19	115

अनुदान योजनाएं

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE, UTTARAKHAND

क्र.सं.	योजना का नाम	पात्रता		देय धनराशि	अभियुक्ति
		अर्हता	आय सीमा		
1	**राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना**	परिवार के मुख्य कमाऊं सदस्य की मृत्यु पर	बीपीएल	रु. 20 हजार	NSAP अंतर्गत संचालित PFMS द्वारा भुगतान
2	**अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री हेतु विवाह अनुदान**	अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु	रु. 4000 प्रतिमाह अधिकतम	रु. 50 हजार	ऑनलाईन आवेदन एवं भुगतान
3	**सामान्य जाति की विधवा महिलाओं की पुत्री हेतु विवाह अनुदान**	अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु	रु. 4000 प्रतिमाह अधिकतम	रु. 50 हजार	ऑनलाईन आवेदन एवं भुगतान
4	**अटल आवास योजना**	आवासहीन व्यक्तियों हेतु		रु. 1.30 लाख (ग्रामीण) रु. 1.20 लाख (शहरी)	--
5	**दिव्यांग व्यक्ति से विवाह पर प्रोत्साहन राशि**	वर अथवा वधू दिव्यांग हों	लागू नहीं	रु. 25 हजार	--
6	**अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन**	**प्रकरण अनुसार जनपद स्तर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भुगतान**			

दिव्यांगजनों हेतु विशेष योजनाएँ

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE, UTTARAKHAND
उत्तराखण्ड शासन

- **विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र (UDID) -** भारत सरकार की योजनान्तर्गत समस्त दिव्यांगजनों के विशेष पहचान पत्र बनाए जाने हैं। इस हेतु दिव्यांग व्यक्ति स्वयं पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जनपद स्तर पर दिव्यांगजनों के आवेदन करवाए जा रहे हैं एवं CMO स्तर से इन्हें स्वीकृत / अस्वीकृत किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

- **विशेष सहायक उपकरण –** ऐलिम्को के माध्यम से राज्य से समस्त जनपदों में प्रत्येक वर्ष अलग–अलग तिथियों को दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण की नाप एवं तद्पश्चात वितरण हेतु शिविर आयोजित किए जाते हैं।

- **जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र –** भारत सरकार की योजना अनुसार प्रत्येक जनपद में जिला स्तरीय समिति की देखरेख में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का संचालन किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य दिव्यांगजनों को पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार आदि संबंधी व्यवस्थाओं में सुविधा प्रदान करना है। इसका संचालन प्रमुखतः गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है।

- **सुगम्य भारत अभियान –** योजनान्तर्गत जनपदों में समस्त शासकीय एवं आम प्रयोग के भवनों को दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य (रैम्प, रेलिंग, व्हीलचेयर, लिफ्ट आदि सहित) बनाया जाना है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्रेषित आवेदनों के आधार पर धनराशि संबंधित भवनों हेतु उपलब्ध कराई गई है।

National Action Plan on Drug Demand Reduction (NAPDDR)

- देश में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बहुआयामी योजना।
- जनता को नशे के विरुद्ध शिक्षित, जागरुक किए जाने के साथ ही ऐसे व्यक्तियों का चिन्हीकरण एवं पुनर्वास किए जाने का भी प्राविधान है जो नशे में लिप्त हों।
- **शासन द्वारा भारत सरकार को दिनांक 12—जून—2023 को NAPDDR के संबंध में रु. 3.42 करोड़ धनराशि की कार्ययोजना प्रेषित कर दी गई है।**

नशामुक्त भारत अभियान .

- मुहिम में राज्य में कुछ जनपद चयनित किए गए – **देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी गढ़वाल** को रु. 10.00 लाख की धनराशि पूर्व में जारी की जा चुकी है।
- जनपद **अल्मोड़ा** की रु. 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत।
- ज्नपद चमोली एवं पिथौरागढ़ से नशामुक्त भारत अभियान का एक्शन प्लान भारत सरकार भेजा जा चुका है।
- जनपद **उत्तरकाशी** से एक्शन प्लान भारत सरकार प्रेषित किया जाना है।
- जनपद उधमसिंह नगर एवं रुद्रपुर (विशेष रूप से) NMBA 2.0 के लिए चयनित है। संबंधित जनपद द्वारा एक्शन प्लान भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

- अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं एवं रोजगार परक परीक्षाओं की तैयारी कराए जाने के उद्देश्य से कोचिंग प्रशिक्षण हेतु योजना।
- पारिवारिक आय रु. 2.00 लाख से अधिक न हो।
- **प्रवेश परीक्षा -** इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, बायोटेक्नॉलोजी, प्रबन्धन, सूचना तकनीक, रक्षा सेवा
- **रोजगार परक परीक्षा -** राज्य एवं केंद्र सरकार की समूह क, ख, ग , पुलिस सुरक्षा, निजी एवं सार्वजनिक उपक्रम, रेलवे, बैंक, बीमा कम्पनियां, अधीनस्थ सेवाएं, स्वायत्तशासी संगठनों की सेवा परीक्षा
- योजनान्तर्गत कोचिंग संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त कर विशेष समिति द्वारा उनका चयन किया जाता है। छात्रों के चयन हेतु जनपद स्तर पर समिति का निर्धारण किया जाता है। छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान भत्ता दिए जाने का भी प्राविधान है।

धन्यवाद

का ट्रायल सफल
देहरादून। 7.85 लाख से अधिक वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशनरों को हर महीने पेंशन देने का ट्रायल सफल रहा। समाज कल्याण विभाग के निदेशक आशीष भटगई के मुताबिक सभी पेंशनरों के खातों
नशा मुक्त भारत अभियान
समाज कल्याण विभाग अल्मोड़ा
आपका हार्दिक स्वागत करता है।
wellness
जिला दिव्यांग
पुनर्वास केन्द्र हरिद्वार